O/o CE (EITC)
Receipt No. 2915
Date 30 JUL 2019
DGM (IT) / SE (O)
EE.Web
Section ....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 06/2019 दिनांक 24.05.2019

श्री मनीष कुमार यादव
जे.पी.नगर, शारदा पारा, नियर साई डेयरी,
केम्प 02, भिलाई, पो.–सेक्टर–01,
जिला– दुर्ग (छ0ग0) पिन–490001

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 29.07.2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री मनीष कुमार यादव की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 06/2019 दिनांक 24.05.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी श्री मनीष कुमार यादव ने आवेदन दिनांकित 04.04.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई है–

''मैंने परिचारक लाइनमेन (संविदा) पदो के भर्ती के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है। मेरा दस्तावेज परीक्षण दिनांक 24.08.2018 को कल्याण केन्द्र सी.एस.ई.बी. कॉलोनी भिलाई, जिला–दुर्ग में सफलतापूर्वक दिनांक 25.08.2018 को 33 के.वी. उपकेन्द्र धमधा, दुर्ग में दिया हूँ। अतएव निवेदन है कि मेरे द्वारा पूरा किये गये दौड़ का स्टाटिंग समय तथा अंतिम टाइम की जानकारी से अवगत करायें, यदि विडियो रिकाडिंग या सी.डी. मेरे द्वारा पूरा किये गये दौड़ का है तो उसकी भी जानकारी देवे।''

प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को 01 पृष्ठ में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई। जिसे अपूर्ण जानकारी मानते हुए अपीलार्थी का यह कथन कि उसे उक्त पद के लिए अपात्र करने का प्रयास किया गया है, प्रथम अपील दर्ज कर न्यायपूर्ण तथा पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

(3) उक्त अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र. –06/2019/11 दिनांक 13.06.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 22.06.2019 को सांय 4:00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी–09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री यादव को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। अतएव प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी। अतएव अपीलार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की सुनवाई पुनः दिनांक 10.07.2019 को नियत की गई, जिसकी सूचना उभय पक्षो को पत्र क्रमांक 15 दिनांक 01.07.2019 के द्वारा दिया गया। निर्धारित तिथि को अपीलार्थी की ओर से उनके पिता श्री राजनाथ यादव (बगैर अधिकृत प्रतिनिधि प्रमाण पत्र के) कार्यालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा

प्रकरण की विषयवस्तु के संदर्भ में अनभिज्ञता प्रकट की गई, जिसके फलस्वरूप प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

श्री राजनाथ यादव द्वारा निवेदन कर अवगत कराया गया कि पुत्र श्री मनीष यादव पारिवारिक कार्यवश राज्य से बाहर हैं, अतः अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जावे। उक्त निवेदन को स्वीकार कर प्रकरण की सुनवाई पुनः दिनांक 25.07.2019 को नियत की गई, जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के द्वारा दिया गया। सुनवाई में अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए, तद्पश्चात् कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक का आवेदन जनसूचना अधिकारी कार्या. कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षेत्र) छ.ग.स्टे.पा.डि.कं.लि. दुर्ग के पत्र क्रमांक 177 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से इस कार्यालय में अंतरित प्रकरण के तहत प्राप्त हुआ है। अतएव कंडिका 02 टीप में आवेदक द्वारा वांछित जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, होल्डिंग कंपनी रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा 01 पृष्ठ में जानकारी/दस्तावेज यथा (उम्मीदवार का नाम/पिता का नाम एवं दौड़ प्रारम्भ/दौड़ पूर्ण करने का समय तथा 4 कि.मी. दौड़ पूर्ण करने की समयसीमा) संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी गई। तद्पश्चात निर्धारित समयावधि के भीतर 01 पृष्ठ की जानकारी हेतु नियमानुसार अभिलेख शुल्क रूपये 2/–मात्र का भुगतान करने बाबत् आवेदक को पत्र क्रमांक 450 दिनांक 15.05.2019 के द्वारा सूचित किया गया। अभिलेख शुल्क के भुगतान उपरांत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 484 दिनांक 22.05.2019 के माध्यम से आवेदक को 01 पृष्ठ की जानकारी प्रदान की गई।

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सूचना उसी रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिस रूप में सूचना/जानकारी कार्यालयीन अभिलेख/रिकार्ड में उपलब्ध है।

(i) अपील सुनवाई के दौरान संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कर, दोनो पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का प्रमुख तर्क कि उनके द्वारा वांछित जानकारी प्रतिअपीलार्थी द्वारा उन्हे 01 पृष्ठ में उपलब्ध करायी गई है, जो अपूर्ण है। अतएव समस्त जानकारी/दस्तावेज उन्हे उपलब्ध करायी जाए।

(iii) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का प्रत्युत्तर कि कंडिका 02/टीप में आवेदक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज के संबंध में उन्हे कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज/अभिलेख के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर 01 पृष्ठ में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है, जिसमें संपूर्ण जानकारी निहित है। अतएव आवेदक का यह कथन कि जानकारी अपूर्ण है तर्कपूर्ण नही है।

उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा परिचारक लाइन (संविदा) भर्ती में स्वंय के द्वारा पूरा किये गये दौड़ का स्टाटिंग समय तथा अंतिम टाइम की जानकारी एवं यदि विडियो रिकाडिंग या सी.डी. पूरा किये गये दौड़ का है तो उसकी भी जानकारी चाही गई है। इस संबंध में लेख है कि आवेदक को दौड़ का स्टाटिंग समय एवं अंतिम टाइम तथा दौड़ पूर्ण करने की समयावधि की जानकारी से 01 पृष्ठ में अवगत करायी जा चुकी है।

जहॉ तक विडियो रिकाडिंग या सी.डी. का प्रश्न है। चूंकि उक्त भर्ती से संबंधित विडियो रिकाड़िंग या सी.डी इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। वस्तुतः आवेदक को सी.डी. उपलब्ध नही करायी जा सकी।

(iv) अपीलार्थी को उक्त भर्ती से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कराया गया।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा कंडिका 04 एवं 5 (iii) टीप में जो कार्यवाही की गई है, वह स्वीकार योग्य है।

जैसा कि कंडिका 5 (iii) टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों के अनुसार परिचारक लाइन (संविदा) भर्ती परीक्षा में अपीलार्थी के दौड़ का स्टाटिंग समय एवं अंतिम टाइम तथा दौड़ पूर्ण करने की समयावधि से संबंधित दस्तावेज अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करायी गई है, जो विधि संगत है।

अपीलार्थी का कथन की उनके द्वारा वांछित जानकारी जिसे जनसूचना अधिकारी के द्वारा 01 पृष्ठ में उपलब्ध करायी गई है अपूर्ण है, तथा उन्हे उक्त भर्ती में अपात्र करने का प्रयास किया गया है। तत्संबंध में भर्ती से संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतएव ज्ञात हुआ कि परिचारक लाइन (संविदा) भर्ती में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों का मूल्यांकन प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इंद्राज कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। जिसके आधार पर अंतिम प्रावीण्य सूची तैयार की गई है। अतएव उक्त भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता का पालन किया गया है। वस्तुतः अपीलार्थी का यह कथन कि उन्हे उक्त भर्ती में अपात्र करने का प्रयास किया गया है, पूर्णतः निराधार है।

यह कि अपीलार्थी द्वारा परिचारक लाइन (संविदा) भर्ती में यदि विडियो रिकाडिंग या सी.डी. मेरे द्वारा पूरा किये गये दौड़ का है तो उसकी भी जानकारी चाही गई है। चूंकि उक्त सी.डी. कार्यालय में उपलब्ध नही है, अतएव उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न ही नही है। परिणामतः प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया गया है, जिस पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पं.क्रं. 06/2019 दिनांक 24.05.2019) एतद् द्वारा अस्वीकार कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

29/7/2019

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700
रायपुर, दिनांक 29/07/2019

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –06/2019/ 18

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री मनीष कुमार यादव जे.पी.नगर, शारदा पारा, नियर साई डेयरी, केम्प 02, भिलाई, पो.सेक्टर–01, जिला– दुर्ग (छ0ग0) पिन–490001 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

29/7/2019

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700